भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services &Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone:25487245/25487243

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-10074/2026/ 2834
Ref:DCSEM/Enft/e-10074/2026/ 2834

अक्टूबर October 16th, 2026

परिपत्र CIRCULAR

विषय: नॉर्थ गेट से टीएसएच तक गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण खतरनाक यातायात उल्लंघन के संबंध में।

Sub: Hazardous traffic violations by wrong-side driving from North Gate to TSH – reg.

इस निदेशालय को सूचित किया गया है कि वी.एस. भवन के सामने स्थित क्रिकेट ग्राउंड से सटे पार्किंग क्षेत्र में गलत दिशा में वाहन चलाने की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। गलत दिशा में वाहन चलाना एक गंभीर एवं अवैध यातायात उल्लंघन है, जिसके कारण आमने-सामने की टक्कर से जानलेवा दुर्घटनाएँ हो सकती हैं तथा यातायात व्यवस्था बुरी तरह बाधित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, सामान्य यातायात बाधित होता है तथा दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। पैदल चलने वाले व्यक्तियों, साइकिल चालकों तथा दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से अधिक खतरा रहता है, क्योंकि उन्हें विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों का अनुमान नहीं होता, जिससे उनके गंभीर रूप से घायल होने की आशंका बनी रहती है।

It has been brought to the notice of this Directorate that incidents of wrong-side driving are increasing day by day in the parking area adjacent to the Cricket Ground, opposite V.S. Bhavan. Wrong-side driving is a severe and illegal traffic violation that causes fatal head-on collisions and major traffic disruptions. In addition, it causes confusion disrupting normal traffic flow and amplifying the risk of accidents. Pedestrians, cyclists, and two-wheeler riders are particularly vulnerable, as they may not anticipate vehicles approaching from the wrong direction, thereby exposing them to serious risk of injury.

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अनुसार, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उस स्थान की प्रकृति, स्थिति एवं उपयोग तथा वहाँ वास्तविक रूप से उपस्थित या संभावित यातायात की मात्रा शामिल है, किसी मोटर वाहन को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाता है जो आम जनता के लिए खतरनाक हो अथवा वाहन में सवार व्यक्तियों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या सड़क के निकट उपस्थित व्यक्तियों में भय या परेशानी उत्पन्न करता हो, तो प्रथम अपराध के लिए उसे छह महीने से एक वर्ष तक के कारावास, अथवा एक हजार रुपये से पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि ऐसा ही दूसरा या उसके बाद का अपराध पूर्ववर्ती समान अपराध के तीन वर्ष के भीतर किया जाता है, तो दोषी व्यक्ति को दो वर्ष तक के कारावास, अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

As per Section 184 of Motor Vehicles Act 1988, driving a motor vehicle at a speed or in a manner which is dangerous to the public, or which causes a sense of alarm or distress to the occupants of the vehicle, other road users, and persons near road, having regard to all the circumstances of the case, including the nature, condition and use of the place where the vehicle

is being driven and the amount of traffic actually present or reasonably expected at such place, shall be punishable for the first offence with imprisonment for a term which may extend to one year but shall not be less than six months or with fine which shall not be less than one thousand rupees but may extend to five thousand rupees, or with both, and for any second or subsequent offence if committed within three years of the commission of a previous similar offence with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

3. उपर्युक्त के मद्देनज़र, अणुशक्तिनगर के सभी निवासियों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा कॉलोनी में गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें, ताकि किसी भी प्रकार की जानलेवा दुर्घटना को रोका जा सके और स्वयं सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

In view of the above, all residents of Anushaktinagar are hereby advised to strictly observe the prescribed traffic rules and refrain from wrong-side driving in the colony, so as to prevent any fatal accidents and ensure the safety of themselves and other road users.

4. इसे इस निदेशालय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority in this Directorate.

15-X-2016

(एस. एस. गोंडाणे S. S. Gondane)
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) Director(P&A)

अणुशक्तिनगर कोलोनियों के सभी आबंटिती - अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से - प्रदर्शन/व्यापक प्रचार हेतु।
All allottees of Anushaktinagar – Through respective Maintenance Units for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुंबई स्थित सभी पऊवि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच परिचालन के लिए।
 Administrative Heads of all DAE units in Mumbai – For circulation among the employees in their unit.
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर।
 Chief Security Officer, Anushaktinagar.
3. महासचिव आरवा/मारवा/डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए
 General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA.
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट।
 DCSEM website.